संख्या-1524/2025/1780/22-2-2025-17(1001)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 12 दिसम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजू पुत्र श्री महेश सिंह, निवासी जनपद-मैनपुरी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-31281/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-21.07.2025, दिनांक 05.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी (दिनांक 16.03.2025 तक बन्दी की लगभग 63 वर्ष आयु) राजू पुत्र श्री महेश सिंह, भोगपुर, थाना-कुर्रा, जनपद-मैनपुरी का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 08.05.2001 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-146/2006, 375/2002, में भा0द0वि0 की धारा-302, 307, 148 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०-03, मैनपुरी के आदेश दिनांक 22.04.2010 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 21.04.2015 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.03.2025 तक अपरिहार 10 वर्ष 05 माह 07 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष 08 माह 01 दिन मात्र की सजा काटी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी द्वारा कारित किया गया कृत्य घोर अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इंकार किये जाने, पुन: अपराध कारित करने में अशक्त नहीं होने, मुकदमा वादी के हित को दृष्टिगत रखते हुए बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध रखे जाने का सार्थक प्रयोजन होने एवं बंदी के परिवार की आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 16.03.2025 तक अपरिहार 10 वर्ष 05 माह 07 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष 08 माह 01 दिन मात्र की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने एवं पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजू (बन्दी संख्या-27239) पुत्र श्री महेश सिंह, निवासी जनपद-मैनपुरी की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Web Shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1524/2025/1780(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।